Government of India
Ministry of Railways/Rail Mantralaya
(Railway Board)

PC-VI No. 302
RBE No. 110/2012

No. F (E) I/2012/AL-29/7 New Delhi, dated 01.10.2012

The General Managers,
All Indian Railways etc.
(As per Standard Mailing List)

Sub: Grant of Washing Allowance to the category of Track Maintainer Gr.-III & IV.

*****

Consequent upon the decision taken by Ministry of Railways (Railway Board) to accept the recommendations of the Committee to resolve issues of Package and Career Progression of Trackmen and to operate the existing categories of Trackmen/Gatemen/Trolleymen/ Watchmen/ Keymen in PB-I, Grade Pay Rs. 1800/- and Mates(P. Way) in PB-I, Grade Pay Rs. 1900/- as a unified cadre of Track Maintainer and to re-designate these categories as Track Maintainer in Grade-I (GP Rs. 2800/-), Track Maintainer-II (GP Rs. 2400/-), Track Maintainer- III (GP Rs. 1900/-) & Track Maintainer-IV (GP Rs. 1800/-), it had been decided to extend the benefit of Washing Allowance to the Track Maintainers drawing Grade Pay of Rs. 1900/- and below.

2. Accordingly, sanction of the Ministry of Railways (Railway Board) is hereby communicated to the grant of Washing Allowance to the categories of Track Maintainer, Gr.-III (PB-I, Grade Pay Rs. 1900/-) & Track Maintainer, Gr.-IV (PB-I, Grade Pay Rs. 1800/-) as per existing rate in terms of Board's letter No. F(E)I2008/AL-29/1 dt. 30.09.2008.

3. This will be effective from the date of issue of this order.

4. Hindi version is enclosed.

5. Please acknowledge receipt.

(Sonali Chaturvedi)
Dy. Director Finance (Estt.)
Railway Board

No. F (E)I/2012/AL-29/7 New Delhi, dated 01.10.12

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).

For Financial Commissioner/Railways.

महाप्रबन्धक, उत्तर-पश्चिम
04 OCT 2012

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी.सी./ VI सं. 302
आरबीई सं. 110/2012

सं. एफ(ई)I/2012/एएल-29/7

नई दिल्ली, दिनांकः 01.10.2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषयः ट्रैक मेन्टेनर ग्रेड-III और IV कोटि के कर्मचारियों को धुलाई भता प्रदान करना।

ट्रैकमैन के पैकेज एवं कैरियर प्रोन्नयन के मामले का समाधान निकालने के लिए संगठित समिति की सिफारिशों को रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा स्वीकार करने तथा पे बैण्ड-I, ग्रेड पे 1,800/- रुपये में ट्रैकमैन/गेटमैन/ट्रालीमैन/वाचमैन/कीमैन तथा पे बैण्ड-I, ग्रेड पे 1,900/- रूपये में मेट्स (रेल पथ) की मौजूदा कोटियों को मेन्टेनर के एकीकृत संवर्ग के रूप में परिचालित करने और इन कोटियों को ग्रेड-I, (ग्रेड पे 2,800/- रुपये) में ट्रैक मेन्टेनर-II (ग्रेड पे 2,400/- रुपये), ट्रैक मेन्टेनर-III (ग्रेड पे 1,900/- रुपये) एवं ट्रैक मेन्टेनर-IV (ग्रेड पे 1,800/- रूपये) के रूप में पुनः पदनामित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप यह विनिश्चिय किया गया था कि 1,900/- रुपये एवं इससे कम ग्रेड पे पाने वाले ट्रैक मेन्टनरों को धुलाई भते का लाभ दिया जाए।

2. तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 30.09.2008 के पत्र सं. एफ (ई)I/2008/एएल-29/1 में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार मौजूदा दर पर ट्रैक मेन्टेनर, ग्रेड-III (पीबी-I, ग्रेड पे 1,900/- रुपये) और ट्रैक मेन्टेनर, ग्रेड-IV(पीबी-I, ग्रेड पे 1,800/- रुपये) की कोटियों के कर्मचारियों को धुलाई भता प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की मंजूरी संसूचित की जाती है।

3. यह इस आदेश के जारी होने की तारिख से लागू होगा।

4. कृपया पावती दें।

सोनाली चतुर्वेदी

(सोनाली चतुर्वेदी)
उप निदेशक, वित(स्थापना)
रेलवे बोर्ड